कार्यालय कलेक्टर, नरसिंहपुर

क्रमांक / 11081 / वि.लि–1 /2017 नरसिंहपुर दिनांक 25/08/2017

प्रति,

चीफ ऑपरेटिंग आफीसर,
एम0पी0 ऑनलाईन लिमिटेड,
भोपाल

विषय– कार्यालय सहायक सह डाटा एंट्री आपरेटर भर्ती के आवेदन एम0पी0 ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से लिये जाने के संबंध मे।

संदर्भ– इस कार्यालय का पत्र क्रं 10334/लोसेप्र/2017 दिनांक 05.08.2017।

..00..

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से प्रमुख सचिव राजस्व विभाग भोपाल के आदेश क्रं एफ–2–10/2012/सात 4–अ भोपाल दिनांक 11 सितम्बर 2014 के परिपालन में तहसील कार्यालयों, अनुविभागीय अधिकारी कार्यालयों एवं कलेक्टर कार्यालय में लोक सेवा प्रबंधन विभाग के कार्य हेतु संविदा आधार पर **01–01 कार्यालय सहायक सह डाटा एंट्री आरपेटर के पद** पर 10000/– (रू दस हजार मात्र) प्रतिमाह की दर से नियुक्ति हेतु विज्ञाप्ति प्रेषित की गई थी।

शासन से प्राप्त पत्र क्रं. एफ–2–10/2012/सात/4–अ भोपाल दिनांक 11 सितंबर 2014 के परिपालन में तथा पत्र क्रमांक एफ–2/10/2012/सात/4–ए भोपाल दिनांक 09 अगस्त 2017 एवं पत्र क्रमांक/980/2–10/2012/सात–4 ए भोपाल दिनांक 18.08.2017 अनुसार उक्त भर्ती प्रकिया हेतु आवश्यक निर्धारित योग्यताओं एवं शर्तो आदि मे संशोधिन किया गया है। जिसकी एक प्रति मय आवेदन के साथ आपकी ओर पुनः प्रेषित हैं।

कृपया एम0पी0 ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन प्राप्त करने की व्यवस्था करने का कष्ट करें। साथ ही पूर्व में जारी विज्ञाप्तियों में जिन अभ्यर्थीयों के आवेदन पत्र प्राप्त हो चुके है, उनके संबंध में भी उचित कार्यवाही करने का कष्ट करें। आवेदन दिनांक 13/09/17 तक प्राप्त किये जा सकेगें। तदोपरांत प्राप्त आवेदनों में से CPCT [redacted] में प्राप्त अंकों के आधार पर मैरिट सूची बनाकर कार्यालय को उपलब्ध करावें। उक्त कार्य हेतु एम0पी0 ऑनलाईन लिमिटेड को निर्धारित पोर्टल शुल्क **रू.100/– के अतिरिक्त(जी.एस.टी. चार्ज 18 प्रतिशत)** प्रति अभ्यर्थी लिए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार
(कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)

डिप्टी कलेक्टर
हेतु कलेक्टर नरसिंहपुर

पृ.क्रमांक/ 11082 / वि.लि–1 **/2017** **नरसिंहपुर, दिनांक 25/08/2017**

प्रतिलिपि–

1. जनसंपर्क अधिकारी, जिला नरंसिंहपुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, जिला नरसिंहपुर की ओर विज्ञापन जिले की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

01C

डिप्टी कलेक्टर
हेतु कलेक्टर नरसिंहपुर

कार्यालय कलेक्टर जिला–नरसिंहपुर

–:संशोधित विज्ञप्तिः–

क्रमांक / 11085 / स्थापना / वि.लि.–1 / 2017 नरसिंहपुर दिनांक 25 / 08 / 2017

प्रमुख सचिव राजस्व विभाग भोपाल के आदेश क्रं. एफ–2–10 / 2012 / सात / 4–अ भोपाल दिनांक 11 सितंबर 2014 के परिपालन में तथा पत्र क्रमांक एफ–2 / 10 / 2012 / सात / 4–ए भोपाल दिनांक 09 अगस्त 2017 एवं पत्र क्रमांक / 980 / 2–10 / 2012 / सात–4 ए भोपाल दिनांक 18.08.2017 के अनुक्रम में तहसील कार्यालयों, अनुविभागीय अधिकारी कार्यालयों एवं कलेक्टर कार्यालय में लोक सेवा प्रबंधन विभाग के कार्य हेतु संविदा आधार पर 01–01 कार्यालीय सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर 10000 / –रूपए प्रतिमाह की दर से नियोजन हेतु निम्नानुसार शर्तों के अधीन नियुक्त किए जाने बावत् विज्ञप्ति प्रसारित है:–

क्रं	संविदा पद का नाम	मानदेय राशि प्रतिमाह	स्वीकृत पद संख्या	रिक्त पद
1	कार्यालय सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर	10000 / –	10	04

आरक्षण तालिकाः–

क्रं.	पदनाम	वर्तमान में रिक्त पदों की कुल संख्या	पदों का वर्गीकरण							
			सामान्य		अ.जा.		अ.ज.जा.		अ.पि.वर्ग	
			पुरूष	महिला	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला
	कार्यालय सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर	04	02	01	00	00	01	00	00	00

2.1 तालिका में दर्शित स्वीकृत पदों पर नियुक्ति हेतु दिनांक 13/09/2017 तक ऑनलाईन प्रक्रिया के तहत् www.mponline.gov.in पर पोर्टल शुल्क रू. 100 / – एवं जी0एस0टी0 शुल्क अतिरिक्त प्रति अभ्यर्थी निर्धारित है।

2.2 संविदा अवधि 01 वर्ष की होगी। नियुक्त व्यक्ति का वार्षिक कार्य मूल्यांकन के आधार पर उपयुक्त होने की दशा में एक–एक वर्ष की सेवा वृद्धि की जा सकेगी।

3– अर्हताऍः–

3.1 12वीं कक्षा उत्तीर्ण तथा।

3.2 सूचना विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत मैप आईटी द्वारा आयोजित कम्प्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा (सी.पी.सी.टी.) में दोनों सेक्शन में उत्तीर्ण **(Qualified)** होना अनिवार्य है।

4– पात्रता–

4.1 उम्मीदवार म.प्र. का मूल निवासी होना चाएिये।

4.2 नियुक्ति हेतु उम्मीदवार की आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच होना चाहिये।

4.3 आयु 01.01.2017 को न्यूनतम 18 एवं म.प्र. शासन के सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल के पत्र क्रमांक / सी–3–11 / 12 / 1 / 3 भोपाल दिनांक 03 / 11 / 2012 एवं पत्र क्रं सी–11 / 2012 / 3 / एक भोपाल दिनांक 20.11.2012 के अनुसार अधिकतम आयु सीमा की गणना निम्नानुसार है:–

1	पुरूष आवेदक (अनारक्षित वर्ग)	40 वर्ष
2	पुरूष आवेदक(शासकीय / नियम / मंडल / स्वाशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक	45 वर्ष
3	पुरूष आवेदक(अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति पिछडा वर्ग)	45 वर्ष
4	पुरूष आवेदक(आरक्षित वर्ग– शासकीय / निमग / मंडल / स्वाशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक)	45वर्ष
5	महिला आवेदक(अनारक्षित वर्ग)	45 वर्ष
6	महिला आवेदक(शासकीय / नियम / मंडल / स्वाशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक) (विधवा / परित्यक्ता / तलाकशुदा)	45 वर्ष
7	महिला आवेदक (आरक्षित वर्ग– अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति पिछडा वर्ग)	45वर्ष

नियुक्ति की प्रकिया :–

पात्र आवेदकों की सूची को सी.पी.सी.टी. स्कोर कार्ड में प्राप्त अंकों के आधार पर निम्नानुसार प्रक्रिया अनुसार मेरिट सूची तैयार की जावेगी। सी.पी.सी.टी. के स्कोर कार्ड में दो सेक्शन होते हैं, प्रथम सेक्शन कम्प्यूटर प्रोफिशियेन्सी एवं दूसरा सेक्शन नेट टाईपिंग (हिन्दी एवं अंग्रेजी) स्पीड का होता है। नेट टाईपिंग स्पीड के लिए हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए क्वालिफाईड होना आवश्यक होगा। हिन्दी एवं अंग्रेजी नेट टाईपिंग स्पीड में क्वालिफाईड होने की स्थिति में मेरिट का निर्धारण कम्प्यूटर प्रेफिशियेन्सी में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जावेगा। लेकिन मेरिट के निर्धारण में केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को शामिल किया जायेगा, जिन्होंने हिन्दी एवं अंग्रेजी नेट टाईपिंग में क्वालिफाई किया हो।

5.2 यदि दो या अधिक आवेदकों के कम्पयूटर प्रोफिशियेन्सी में समान अंक होंगे तो हिन्दी टाईपिंग के अंको के आधार पर मेरिट का निर्धारण होगा।

5.3 हिन्दी टाईपिंग में समान अंक होने पर अंग्रेजी टाईपिंग के अंकों के आधार पर मेरिट का निर्धारण किया जावेगा।

5.4 मेरिट में दो आवेदको को कम्प्यूटर प्रोफिशियेन्सी, हिन्दी एवं अंग्रेजी नेट टाईपिंग सभी में समान अंक होने पर अधिक आयु वाले आवेदकों को प्राथमिकता होगी।

6 **नियुति की शर्त–**

6.1 संविदा नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एक वर्ष के लिए वैद्य होगी।

6.2 1.1.2017 को 18 वर्ष से 35 वर्ष तक (शासकीय विभाग/उपक्रम/मण्डल में संविदा पर कार्यरत् कर्मचारियों को 5 वर्ष की छूट प्रदान की जायेगी)

6.3 संविदा नियुक्ति के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा 01 माह का नोटिस या वेतन देकर संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।

7. **मानदेय/पारिश्रमिकः–**

7.1 संविदा सेवा में प्रतिमाह एकजाई वेतन 10,000/– मात्र देय होगा।

7.2 संविदा नियुक्ति के दौरान शासकीय आवास गृह की पात्रता नहीं होगी।

7.3 यात्रा भत्ते की पात्रता उसी प्रकार होगी जैसे किसी तृतीय श्रेणी के कर्मचारी को होती है।

अवकाश–

8. वर्ष में 13 दिवस आकस्मिक अवकाश एवं 15 चिकित्सा अवकाश की पात्रता होगा। अवकाश का उपभोग जिला, कलेक्टर या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी की स्वीकृति से किया जाएगा। बिना अवकाश स्वीकृत के अवकाश पर रहने/अनुपस्थित रहने पर अनुपस्थिति की अवधि का वेतन देय नहीं होगा।

ई.पी.एफ कटौत्राः–

9 ई.पी.एफ. कटौत्रा के संबंध में ई.पी.एफ. फण्ड मिसलेनियस प्रोविजन्स एक्ट 1952 के प्रावधान लागू होंगे।

अन्यः–

10. इस संविदा नियुक्ति के आधार पर नियमितिकरण संबंधी कोई मांग या दावा नहीं किया जायेगा।

11 संविदा नियुक्ति आदेश जारी करने के दिनांक से 15 दिन प्रभावशील होगी। इस अवधि में यदि संविदा नियुक्त व्यक्ति के द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया तो संविदा का नियुक्ति का आदेश स्वतः प्रभावशून्य हो जायेगा।

12 संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों का गोपनीय प्रतिवेदन लिखा जावेगा। जिससे उनकों कार्य स्तर आदि का मूल्यांकन हो सकें। गोपनीय प्रतिवेदन एवं कार्य मूल्यांकन के आधार आगामी वर्ष हेतु नियुक्ति पर विचार किया जायेगा।

13 संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियम लागू होगें।

14 अभ्यार्थी को मध्यप्रदेश का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है।

15 मध्यप्रदेश शासन में लागू आरक्षण नियमों का पूर्णतः पालन किया जावेगा।,

16 संविदा पर नियुक्त कार्यालय सहायक एक माह का पूर्व का नोटिस कार्यालय को देकर अथवा एवं माह का पारिश्रमिक नगद जमा कर संविदा सेवा से त्यागपत्र दे सकता है।

17 किसी भी विवाद की स्थिति में कार्यालय कलेक्टर प्रमुख का निर्णय बंधनकारी होगा।

कार्यालय सहायक– डाटा एंट्री आपरेटर के पदों को भरे जाने हेतु सामान्य निर्देश।

1. कार्यालय पत्र एवं कार्यालयीन कार्य को हिन्दी एवं अग्रेंजी में टंकण करने की दक्षता।
2. डाटा फीडिंग के कार्य की जानकारी।
3. दस्तावेजों की स्केनिंग।
4. एम.एस.– आफिस तथा डाटाबेस सॉफ्वेयर में कार्य करने का 3 साल का अनुभव।
5. शैक्षणिक योग्यता 12 कक्षा उत्तीर्ण।
6. न्यूनतम तकनीकी योग्यता सी.पी.सी.टी परीक्षा उत्तीर्ण।

आवेदन करने की प्रकिया

1. उपरोक्त दी गई सम्पूर्ण अर्हताएँ अनुसार आवेदक नियत तिथियों के पूर्व ऑनलाईन के पोर्टल पर शुल्क **रू 100/–एवं जी0एस0टी0 शुल्क अतिरिक्त** जमा करेगा।
2. आवेदन के साथ निम्नानुसार दस्तावेज जानकारी सहित स्केन कर अपलोड करेगा–

अ. आयु प्रमाणता संबंधी 10 वीं कक्षा की अंक सूची तथा,

ब. कम्प्यूटर दक्षता प्रमाणिता परीक्षा (सीपीसीटी) में दोनो सेक्शन पास स्कोर कार्ड होना अनिवार्य है।

स. समक्ष अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र ।

ई. विभाग/ उपक्रम/ मंडल में संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों को पांच वर्ष की अतिरिक्त छूट हेतु संबंधित दस्तावेज।

कलेक्टर
नरसिंहपुर

पृ0कमांक 1086/स्थापना/वि.लि.–1/2017 नरसिंहपुर दिनांक 25/08/2017

प्रतिलिपिः–

1. सचिव, म.प्र. शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रमुख राजस्व आयुक्त म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. आयुक्त जनसंपर्क कार्यालय नरसिंहपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. जिला प्रबंधक लोक सेवा प्रबंधन विभाग कार्यालय नरसिंहपुर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
6. मुख्य परिचालन अधिकारी एम.पी. ऑनलाईन डीबी.मॉल–4 कोलार रोड भोपाल ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

कलेक्टर
नरसिंहपुर